



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

### PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937

No. 323]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

### भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 16 सितम्बर, 2015

### भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

### (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/15/105/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों के अधिग्रहण के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

क. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015 है।

ख. उपर्युक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सभी उत्पादों पर लागू होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होंगे।

ग. प्राधिकरण उन उत्पादों को हटाने के लिए अलग अनुदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के अनुसार नहीं हैं, परंतु वर्तमान में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं और जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले अनुमोदित हैं।

घ. जब तक कि इन विनियमों में प्रावधान हो, तब तक इन विनियमों के लागू होने से पहले जारी की गई बीमा पॉलिसियों को अमान्य न समझा जाए।

**2. परिभाषाएँ :** इन विनियमों में यदि यह संदर्भ लगते हैं:—

- क. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
- ख. "प्राधिकरण से अभिप्राय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसका गठन धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) द्वारा हुआ है।
- ग. "मृत्यु पर बीमाकृत राशि" से लाभ की वह समग्र राशि अभिप्रेत है जो प्रत्यावर्ती बोनस और गारन्टी परिवर्धनों, यदि कोई हों, को छोड़कर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जीवन की मृत्यु पर देय होने के लिए गारन्टी है।
- घ. "परिपक्वता पर बीमित राशि" से लाभ की वह समग्र राशि अभिप्रेत है जो प्रत्यावर्ती बोनस और गारन्टी परिवर्धनों, यदि कोई हों, को छोड़कर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी की परिपक्वता पर देय होने के लिए गारन्टी है।
- ड. "अभ्यर्पण" से संपूर्ण पॉलिसी का पूरा प्रत्याहार अथवा समापन अभिप्रेत है।
- च. "अभ्यर्पण मूल्य" से वह राशि, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार अभ्यर्पण की स्थिति में देय होती है।
- छ. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

**3. जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य और प्रदत्त मूल्य**

- क. जीवन बीमाकर्ता द्वारा संबद्ध मंच (लिंकड प्लेटफार्म) के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक पॉलिसी
  - (i) समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के अनुसार अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध कराएगी।
  - (ii) समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के अनुसार अभ्यर्पण अथवा समापन से संबंधित सभी उपबंधों का पालन करेगी।
- ख. जीवन बीमाकर्ता द्वारा असंबद्ध मंच (नॉन-लिंकड प्लेटफार्म) के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक पॉलिसी
  - (i) समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के अनुसार अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध कराएगी।
  - (ii) समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के अनुसार अभ्यर्पण से संबंधित सभी उपबंधों का पालन करेगी।
  - (iii) जिसने अभ्यर्पण मूल्य अधिगृहीत किया हो, अगले प्रीमियमों का भुगतान न करने के कारण से व्यपगत नहीं होगी, परंतु बीमाकृत प्रदत्त राशि और गारन्टी परिवर्धनों, यदि कोई हों, सहित अवस्थित प्रत्यावर्ती बोनसों की सीमा तक प्रचलित रखी जाएगी।

- (iv) 3(ख)(iii) में वीमाकृत प्रदत्त राशि का परिकलन प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित और पॉलिसी की शर्तों में निहित फार्मूले के जरिये किया जाएगा।
- (v) उन पॉलिसियों के लिए जिनमें देय प्रीमियम की राशि नियत हो और एकसमान मात्रा की हो, वीमाकृत प्रदत्त राशि (प्रत्यावर्ती बोनसों अथवा गारंटीकृत परिवर्धनों, यदि कोई हों, को सम्मिलित करने से पहले)
1. मृत्यु पर उस कुल अवधि के अनुपात से कम नहीं होगी जिसके लिए प्रीमियम अदा किये जा चुके हों जिसका संबंध उस अधिकतम अवधि से हो जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे जिसे मृत्यु पर वीमाकृत राशि द्वारा गुणा किया गया हो।
  2. परिपक्वता पर उस कुल अवधि के अनुपात से कम नहीं होगी जिसके लिए प्रीमियम अदा किये जा चुके हों जिसका संबंध उस अधिकतम अवधि से हो जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे जिसे परिपक्वता पर वीमाकृत राशि द्वारा गुणा किया गया हो।
  3. अदा किये गये उत्तरजीविता (सर्वाइवल) लाभों, यदि कोई हों, के कारण उपर्युक्तानुसार परिकलित वीमाकृत प्रदत्त राशि में समायोजित किया जाएगा।
- (vi) उपर्युक्त 3(ख)(v) में यथाउल्लेखित पॉलिसियों को छोड़कर अन्य पॉलिसियों के लिए, प्राधिकरण वीमाकृत प्रदत्त राशि के परिकलन के लिए एक अलग फार्मूले का अनुमोदन कर सकता है।
- (vii) उपर्युक्त विनियम 3(ख)(iii) निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगा,
- (क) जहाँ पॉलिसी की वीमाकृत प्रदत्त राशि संलग्न बोनसों और गारन्टि परिवर्धनों, यदि कोई हों, को छोड़कर (सूक्ष्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य के अंतर्गत) एक हजार दो सौ पचास रुपये से कम हो।
  - (ख) जहाँ पॉलिसी की वीमाकृत प्रदत्त राशि संलग्न बोनसों और गारन्टि परिवर्धनों, यदि कोई हों, को छोड़कर (सूक्ष्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत) एक सौ रुपये से कम हो।
  - (ग) जहाँ वीमाकृत प्रदत्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रति माह से कम की वार्षिकी का रूप लेती हो।
4. यदि पॉलिसी की वीमाकृत प्रदत्त राशि उपर्युक्त 3(ख)(vii) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट राशि से कम है, तो जीवन बीमा पॉलिसी पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) अवधि के बाद अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करते हुए समाप्त की जा सकती है।
  5. प्राधिकरण असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के लिए अनुदेश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असाधारण/161/15/211]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 16th September, 2015

**Insurance Regulatory and Development Authority of India**  
**(Acquisition of Surrender and Paid Up Values)**

**Regulations, 2015**

**F. No. IRDAI/Reg/15/105/2015.**—In exercise of the powers conferred under Section 114 (A) of the Insurance Act, 1938 read with Section 26 of Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations for Acquisition of Surrender and Paid Up Values under Life Insurance Policies.

**1. Short title and Commencement**

- a. These Regulations shall be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Acquisition of Surrender and Paid Up Values) Regulations, 2015.
- b. The above Regulations shall come into force on the date of its publication in the official Gazette and shall be applicable to all the products offered by the life insurers which are approved by the Authority after the date of notification of these Regulations.
- c. The Authority may issue separate instructions for withdrawing the products which are not in compliance with these Regulations but are currently offered by the life insurers and which are approved by the Authority prior to the date of notification of these Regulations.
- d. Unless otherwise provided by these Regulations, nothing in these Regulations shall deem to invalidate the insurance policies issued prior to these Regulations coming into force.

**2. Definitions:** In these Regulations, unless the context otherwise requires:—

- a. “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
- b. “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- c. “Sum Assured on Death” means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable on death of the life assured in accordance with the terms and conditions of the policy excluding reversionary bonus and guaranteed additions, if any.
- d. “Sum Assured on Maturity” means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable on maturity of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy excluding reversionary bonus and guaranteed additions, if any.
- e. “Surrender” means complete withdrawal or termination of the entire policy.
- f. “Surrender Value” means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and conditions of the policy.
- g. All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in Insurance Act, 1938 or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

**3. Surrender Value and Paid-Up Value under insurance policies offered by Life insurers:**

- a. Every policy offered by life insurer under a linked platform
  - (i) Shall provide surrender value in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Linked Insurance Products) Regulations, 2013, as amended from time to time.
  - (ii) Shall comply with all the provisions related to surrender or discontinuance in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority (Linked Insurance Products) Regulations, 2013, as amended from time to time.

**b.** Every policy offered by life insurer under a non-linked platform

- (i) Shall provide surrender value in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority (Non Linked Insurance Products) Regulations, 2013, as amended from time to time.
  - (ii) Shall comply with all the provisions related to surrender in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority (Non Linked Insurance Products) Regulations, 2013, as amended from time to time.
  - (iii) Which has acquired a surrender value shall not lapse by reason of non-payment of further premiums but shall be kept in force to the extent of paid up sum assured and the subsisting reversionary bonuses including guaranteed additions, if any.
  - (iv) The paid up sum assured in 3 (b) (iii) shall be calculated by means of a formula as approved by the Authority, and contained in the terms and conditions of the policy.
  - (v) For policies wherein the amount of premium payable are fixed and are of uniform amount, the paid up sum assured (before inclusion of reversionary bonuses or the guaranteed additions, if any).
    - 1. On death shall not be less than the *ratio* of the total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period *for* which premiums were originally payable *multiplied* by the sum assured on death.
    - 2. On maturity shall not be less than the *ratio* of the total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period *for* which premiums were originally payable *multiplied* by the sum assured on maturity.
    - 3. Adjustment shall be made to the paid up sum assured calculated as above on account of survival benefits paid, if any.
  - (vi) For policies other than as mentioned in 3 (b) (v) above, the Authority may approve a different formula for calculation of paid up sum assured.
  - (vii) The Regulation 3 (b) (iii) above shall not apply,
    - (a) Where the paid up sum assured of the policy exclusive of attached bonuses and the guaranteed additions, if any, (under other than Micro Insurance and Health Insurance Business) is less than Rupees One Thousand Two Hundred and Fifty.
    - (b) Where the paid up sum assured of the policy exclusive of attached bonuses and the guaranteed additions, if any (under Micro Insurance and Health Insurance Business) is less than Rupees One Hundred.
    - (c) Where paid up sum insured takes the form of an annuity of less than Rupees Two Hundred Fifty per month.
4. A life insurance policy may be terminated after expiry of revival period by paying the surrender value if the paid up sum assured of the policy is less than as specified under 3 (b) (vii) above.
5. The Authority may issue instructions for payment of surrender value under extraordinary circumstances.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty/161/15/211]